राज्यपाल सचिवालय उत्तरांचल
देहरादून

संख्या— /जी0एस0/ शि0/ 2003
दिनांक 18 जून, 2003

प्रेषक,

राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव
उत्तरांचल।

सेवा में,

कुल सचिव,
हे0न0ब0गढ़वाल विश्वविद्यालय
श्रीनगर, गढ़वाल।

महोदय,

आपके पत्र संख्या—ग0वि0वि0/मान्यता/393 दिनांक 27.05.03 एवं उत्तरांचल शासन के मानव संसाधन विकास विभाग (उच्च शिक्षा) की पत्रावली संख्या—459/उ0शि0/2003 की संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय कुलाधिपति महोदय ने सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा—37 (2) (यथा प्रवृत्त उत्तरांचल राज्य) के अधीन रा0 महाविद्यालय, पैठाणी, जिला पौड़ी गढ़वाल को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल एवं सैन्य विज्ञान विषयों में दिनांक 01.07.2003 से दिनांक 30.06.2006 तक (तीन वर्ष) की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :—

1 महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का प्रवेश, फीस आदि शासनादेश/1960/सत्तर—2—97 (85)97 दिनांक 11.11.97 के अनुसार या भविष्य में समय—समय पर जारी शासनादेश तथा विश्व विद्यालय द्वारा निर्धारण के आधार पर लिया जायेगा। विश्व विद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त संस्थान व्यावसायिक आधार पर संचालित नहीं किया जायेगा।

2 उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11.11.97 में विनिर्दिष्ट शर्तों/मानकों के अनुसार या भविष्य में समय—समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार महाविद्यालय में शिक्षकों आदि की भर्ती की जायेगी, इस आशय का शपथ—पत्र विश्व विद्यालय को दिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

3 संस्था द्वारा शासन/माननीय कुलाधिपति/ स्टेट्यूटरी बाडी के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जोयगा।

4 संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थाई सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगी।

5 विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि संस्था में अध्यापकों की नियुक्ति संस्था द्वारा मानकों के अनुसार कर ली गयी है।

6 भविष्य में अग्रेत्तर अवधि का विस्तरण प्रस्ताव उपलब्ध कराने से पूर्व सभी कमियों को पूर्ण कराये जाने की दशा में ही प्रस्ताव माननीय कुलाधिपति/शासन के उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा। अन्यथा उल्लिखित तिथि की समाप्ति पर अस्थायी सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

एन0 रवि शंकर
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या– 1158 (1)/जी0एस0 2003 तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2 शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, हलद्वानी, नैनीताल।
3 प्रबन्धक, राठ महाविद्यालय पैठाणी, पौड़ी गढ़वाल।
4 शिक्षा विभाग की पत्रावली हेतु।
5 गार्ड फाइल हेतु ।

अ0का0 18/6
(ए0के0 ढौंडियाल)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

Scanned with CamScanner